SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बढ़ते अपराध में सोशल मीडिया का प्रभावः एक समीक्षात्मक अध्ययन

रवीन्द्र कुमार, विधि संकाय
डी. ए. वी. डिग्री कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
ज्योतिबा अशोक
सिवान, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
रवीन्द्र कुमार
ज्योतिबा अशोक
E-mail : kravindra672@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 19/02/2026
Revised on : 20/04/2026
Accepted on : 29/04/2026
Overall Similarity : 00% on 21/04/2026

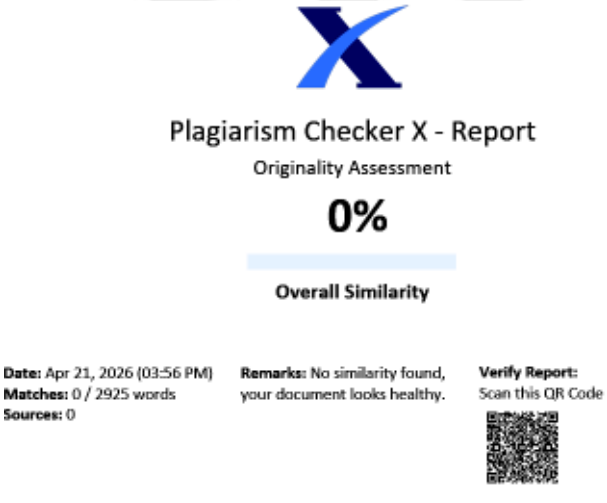

शोध सार

वर्तमान समय संचार की आधुनिकता में समाहित है। यह दौर सूचनाओं का है, जिसे तकनीकी तंत्र आधारित सोशल मीडिया ने और अधिक बल दिया है। इस तकनीकी क्रांति ने सूचना, शिक्षा, व्यापार और सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। तकनीकी तंत्र का ही यह देन है कि आज पूरी की पूरी एक आभासी दुनिया कायम हो गई है। व्यक्ति भौगोलिक सीमाओं जैसे बंधन को लगभग तोड़ चुका है। इस दौर में अभिव्यक्ति की आजादी को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। हालांकि, सोशल मीडिया के उपयोग की व्यापकता में विभिन्न तरह की खामियाँ भी देखने को मिलती रही हैं। इन्हीं खामियों की उपलब्धता ने अपराध के लिए अवसर प्रदान किया है। सोशल मीडिया पर मौजूद भ्रामक सूचनायें, साम्प्रदायिक सामग्री, अश्लीलता, साइबर उत्पीड़न तथा असत्यापित मनगढ़ंत सामग्री की भरमार ने न सिर्फ लोगों के बौद्धिक चेतना को खराब कर दिया है व व्यक्तियों में आपराधिक मनोवृति में भी बढ़ावा हुआ है।

मुख्य शब्द

अपराध, सोशल मीडिया, आधुनिकता, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि व साइबर अपराध.

प्रस्तावना

व्यक्ति के जीवन में तकनीक का शामिल होना व व्यक्ति का तकनीक से प्रभावित होना, आधुनिक युग की पहचान व व्यक्ति की आवश्यकता बन गयी है। तकनीक ने व्यक्ति के दैनिक जीवन को एक प्रकार से सुलभता तो प्रदान की है, परंतु ठीक इसके विपरीत सोशल मीडिया प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या, मानसिक परिपक्वता, स्वभाव व आचरण के सामान्य स्वाभाविकता को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तकनीकी यंत्रों के प्रयोग में सबसे बेहतर कड़ी के रूप में इंटरनेट को देखा जा सकता है। इंटरनेट दो विभिन्न स्थानों पर मौजूद दो विभिन्न डिजिटल यंत्रों (कम्प्यूटर) को आपस में

जोड़ने का कार्य करता है। इंटरनेट, विभिन्न स्थानों भौगोलिक स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को बिना किसी भौतिक व भौगोलिक बाधा के जोड़ने का साधन है। इंटरनेट पर संचालित विभिन्न तरह के सोशल मीडिया एप्पस व उनके अंदर मौजूद डेटा/सामाग्री/कंटेन्ट व्यक्ति के मानसिक अवस्था पर व्यापक व सीधा प्रभाव डालते हैं। यहाँ डेटा का पर्याय ऐसी डिजिटल सामाग्री से हैए जिसे हम आंकड़े, तथ्य व सूचना के रूप देखते हैं।

सोशल मीडिया, डिजिटली रूप से सामाजिक चहलकदमीय जिसमें छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी घटना मौजूद है को काल्पनिक रूप से तैयार कर या सीधे तौर पर उक्त सम्पूर्ण घटनाक्रम को एक विशिष्ट स्थान पर रखने का साधन है। यह आभासी विशिष्ट स्थान ''डिजिटल प्लेटफॉर्म'' के रूप में जाना जाता है। यहाँ मौजूद सामाग्री प्रमुखतः विडियो; चल–चित्र के रूप मे बनाई गई सामाग्री (डिजिटल डेटा) होती है, परंतु कई बार सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामाग्री ऑडियो (वॉयस) के रूप में या टेक्स्ट (अक्षर) के रूप में भी उपलब्ध होती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन का कारण है, सभी आयु वर्ग वाले व्यक्तियों के लिये स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होना। सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का होना, भौतिक सीमाओं के खात्मे का घोतक है। वास्तविक समाज के ऊपर सोशल मीडिया का प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही तरह से देखने को मिलतें है, सकरात्मकता या नकरात्मकता का निर्धारण मौजूद सामाग्री व व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर आधारित तय होता है।

व्यक्तियों के समूह से समाज का निर्माण होता है और समाज की घटनाओं से व्यक्तियों की सोच प्रभावित होती है। समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के नयेपन का सीधा प्रभाव उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक अवस्था के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक इसी प्रकार, आज के समय में अपराध के विभिन्न कारणों का अवलोकन करें तो हम देखतें हैं कि सोशल मीडिया भी उन कारकों की सूची में शामिल है। सोशल मीडिया के डेटा, समाज की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित न कर काल्पनिक तथ्य को वास्तविक जैसा प्रस्तुत करातें हैं। परिणामतः सोशल मीडिया के प्रयोगकर्ताओं में बौद्धिक चेतना में कमी और तार्किकता में कमी होने लगती है। प्रयोगकर्ता उपलब्ध व प्रसारित डेटा को ही वास्तविक सच्चाई समझ करए न सिर्फ अपनी दैनिक दिनचर्या को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास करने लगता है, बल्कि अपनी इच्छाओं को वैसे ही वातावरण में ढालने को प्रयासरत हो जाता है। सोशल मीडिया से व्यक्ति के अंदर हुए अनावश्यक बदलाव अपराध के प्रमुख कारक बनते हैं।

साहित्य समीक्षा

लेखक द्वारा सोशल मीडिया विषय से जुड़ी विभन्न पुस्तकों व लेखों का अध्ययन किया गया है साथ ही, विधिक विश्लेषण के लिये सोशल मीडिया संदर्भित विधिक पुस्तकों का अध्ययन भी शामिल है। भारतीय संविधान, सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अवलोकन विशेष है। आधुनिकता के प्रभाव को देखने के लिये व सामाजिक तथा विधिक आधुनिकता को समझने के लिये लेखक द्वारा माइकल फुको के सिद्धांत का अध्ययन शामिल किया है। अपराध की परिस्थिति व कारकों तथा पीड़ित व्यक्ति पर पड़ने वाले भार के अवलोकन में अपराधशास्त्र व पीड़ितशास्त्र का अध्ययन प्रमुख है। साथ ही, वर्तमन समय के वस्तु–स्थिति पर स्पष्टता के लिए लेखक द्वारा भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित तथा विभिन्न निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न समय अंतरालों में अपराध से जुड़े आंकड़ों पर प्रकाशित तथ्यों का भी अवलोकन किया गया है।

अनुसंधान का प्रसार व उद्देश्य

आधुनिकता का पर्याय पुरानी प्रणाली के स्थान पर नयी व्यवस्था की स्थापना है। आधुनिकता से पुराने विकारों व सामाजिक समस्याओं के निराकरण में तो लाभ प्राप्त होता हैं परंतु इसके साथ . साथ नयी सामाजिक चुनौतियां भी जन्म लेतीं हैं। आधुनिक युग में तकनीकी विकास, जिसमें सोशल मीडिया प्रमुख है का व्यक्ति के सामाजिक दिनचर्या पर व्यापक प्रभाव है। यह न सिर्फ विभिन्न तरह के सामाजिक व भौगोलिक सीमाओं को खत्म करता है बल्कि विभिन्न तरह के सामाजिक विकारों को बढ़ाता भी है। यह आलेख जिसका शोध विषय ''बढ़ते अपराध में सोशल मीडिया का प्रभावः एक समीक्षात्मक अध्ययन'' है मुख्य रूप से भारतीय सामाजिक व भारतीय विधिक परिपेक्ष्य पर केंद्रित है। इस आलेख में प्रस्तुत शोधए लेखक के अध्ययन व अनुभव पर आधारित हैंए जिससे कुछ सीमायें भी संभव हैं।

शोध प्रक्रिया

शोध आलेख विषय ''बढ़ते अपराध में सोशल मीडिया का प्रभावः एक समीक्षात्मक अध्ययन'' में, गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समन्वयात्मक प्रयोग है। प्राथमिक स्रोत में भारतीय आपराधिक विधि के विभिन्न सिद्धांत, विभन्न अधिनियम तथा मानवीय व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन किया है।

अध्ययन की मौलिकता अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र और तकनीक के प्रयोग से आपराधिक मनोवृति में बढ़ोतरी के संश्लेषण

में निहित है। आलेख को और भी अधिक परिस्कृत करने के ध्येय से द्वितीयक स्रोत में लेखक द्वारा शीर्षक से जुड़ी विषय संबंधित प्रामाणिक सामाजिक व विधिक पुस्तकों, शोध–पत्रों, विभन्न विश्वसनीय लेख, तथा ऑनलाइन डेटाबेस से प्राप्त व्यक्तव्यों का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया गया है।

विचार विमर्श

आधुनिकता: विधि के साहित्य में, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह पुराने समय से निरंतर रूप से चले आ रहे प्रणाली या प्रथा का त्याग कर उसके स्थान पर नये व एक संश्लेषित तथा पहले से भी अधिक व्यवस्थित व्यवस्था या प्रक्रिया अपना लें, तो यह परिस्थिति आधुनिकता की श्रेणी मे रखी जाएगी। आधुनिक व्यक्ति की अवधारणा युक्तियुक्त हो जाये, घटित होने वाली घटनाओं के वजहों को तलाश कर उन वजहों के आधार पर ही किसी विषय वस्तु को अपनाये या उक्त विषय वस्तु को अपनाये जाने से इनकार कर दे तो उपरोक्त बदलाव उस व्यक्ति या समाज के लिए आधुनिकता है।

अपराध: अपराध की परिभाषा भारतीय विधिक शब्दावली में विस्तार पूर्वक परिभाषित है। वह सभी कृत्य जो किसी राज्य द्वारा प्रतिबंधित होए उस राज्य के विधिक दृष्टिकोण में वह कृत्य अपराध के रूप में देखा जाता है। विधिक दस्तावेजों में अपराध के आवश्यक घटकों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। भारतीय परिपेक्ष्य में देखें तो वह सभी कृत्य जिनकों किसी न किसी स्वरूप मे दंडनीय बनाया गया हैए अपराध है। वह दंड मृत्यु के रूप में, आजीवन सादा कारावास या आजीवन सश्रम कारावास या एक सीमित अवधि के लिये कारावास (सादा या सश्रम) या जुर्माना या संपत्ति की जब्ती या समाज सेवा के रूप में वर्णित है।

साइबर अपराध: कंप्युटर जनित वह सभी कृत्य जिसके द्वारा तकनीकी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन होए भले ही उस हनन से व्यक्ति को प्रत्यक्ष क्षति होते प्रतीत न होता होए तो ऐसे तकनीकी कृत्य साइबर अपराध के रूप मे चिन्हित किये जातें है। साइबर अपराध के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के विभिन्न धाराओं में विस्तार से बताया गया है। साइबर अपराध में निजीत का हनन सबसे व्यापक है तथा साइबर अपराध में साइबर आतंकवाद को भी शामिल किया गया है।

सोशल मीडिया: सोशल मीडिया शब्द की उत्पति का श्रेय डैरेल बेरी को जाता है। 1994 में डैरेल बेरी ने मैटिस नामक एक अनलाइन मीडिया का प्रयोग शुरू किया था, और डैरेल बेरी के द्वारा ही इस शब्द का प्रयोग व प्रचलन सर्वप्रथम किया गया। हालांकि इस तथ्य में काफी भिन्नताएं मिलती हैं। सिक्सडएग्रीस (sixdegrees) प्रथम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जिसे एंड्रयू वेनरिच ने 1997 में बनाया था।

आज सोशल मीडिया, व्यक्ति या समुदायों के विचार को एक प्लेटफॉर्म पर रखने वाला भौगोलिक सीमाओं से दूर, आभासी मगर वास्तविकता जैसा प्रतीत होने वाला माध्यम बन गया है। जहां एक व्यक्ति न सिर्फ अपने विचार को रख सकता है बल्कि विभिन्न तरह के डिजिटल सामाग्री (औडियो, विडिओ व टेक्स्ट) का एकत्रीकरण, साझाकरण व निर्माण कर सकता है। अपने विचार को पूरी अभिव्यक्ति के साथ दूसरे के समक्ष रख सकता है, अपनी रूचियाँ तय कर सकता है, एक भौगोलिक सीमा को लांघ कर दुसरे सीमा भौगोलिक सीमा में मौजूद व्यक्ति के साथ आभासी रूप से संपर्क में आ सकता है। सोशल मीडिया, दो व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापित करने का सर्वोतम माध्यम के रूप में स्थापित हो चुका है।

सोशल मीडिया का विकास

भारतीय क्षेत्र में प्रयुक्त सोशल मीडिया में सबसे प्रमुख स्थान whatsapp (2009), मैसेजिंग और कॉलिंग के लिये है। इसके पश्चात YouTube (2005) वीडियो देखने व अपलोड के लिये, facebook (2004) टेक्स्ट, फोटो, डाटा, मैसेज इत्यादि साझा करने के लिये, इंस्टाग्राम (2010) रील्स व मैसेज के लिये, टेलीग्राम (2013) सुरक्षित चैट के लिये, स्नैपचैट (2011) क्षणिक स्नैप्स के लिये, लिंक्डइन (2002) प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिये, शेयरचैट (2015) क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट के लिये है। देश स्तर पर देखें तो मोज (2018)शॉर्ट–वीडियो बनाने के लिये व जोश (2020। शॉर्ट–वीडियो व लाइव स्ट्रीमिंग के लिये लोकप्रिय हैं।

सोशल मीडिया का प्रयोग

सोशल मीडिया का प्रयोग विकसित होते तकनीकी संचार के साथ बेहद आम हो गया है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण जन व्यवस्था में सोशल मीडिया अछूता नहीं रहा है। यह एक क्रांतिकारी उपलब्धि है क्योंकि सोशल मीडिया द्वारा न सिर्फ भौगोलिक सीमाओं व समस्याओं को खत्म कर संचार की एक अनूठी व्यवस्था स्थापित हुई है बल्कि यहाँ न तो भाषा का बंधन

है न ही संस्कृति की रुकावट, परंतु जैसा कि देखा जाता है प्रत्येक प्रणाली में विभिन्न तरह की कमियाँ भी होती हैं। सोशल मीडिया भी अपने प्रयोग तथा दुरुपयोग से अछूता नही है।

सोशल मीडिया का उपयोग

सोशल मीडिया के प्रयोग से देशज व वैश्विक स्तर की खबरें बेहद सूक्ष्म समय अंतराल में बड़े जन समूह तक संचारित की जा सकती है। दुरस्त व दुर्गम क्षेत्रों तक भी सूचनाओं का संचार कम से कम खर्चे में संभव है। व्यापार के क्षेत्र भी सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ा है और यह सुलभता न केवल क्रेता, बल्कि विक्रेता को भी प्राप्त हुआ है जिन्हे हम संयुक्त रूप से डिजिटल मार्केटिंग के रूप मे जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सोशल मीडिया के प्रभाव से क्रांतिकारी परिवर्तन हुये हैं। सोशल मीडिया के ही प्रभाव से विभन्न तरह के क्रांतिकारी आंदोलन सफलता को प्राप्त कर सकें। उदाहरण स्वरूप MeToo BlackLiveMatter इत्यादि। सोशल मीडिया फिल्म जगत के लिए वरदान के बराबर है। सोशल मीडिया फिल्मों इत्यादि के लिये प्रचार का एक बेहतर विकल्प है जहां कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच संभव है। कवि लेखकों के लिए भी सोशल मीडिया एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभरा है। सोशल मीडिया के प्रयोग से बहुत से लोग फर्श से अर्श तक की ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। सोशल मीडिया सरकारी क्रिया कलापों के पारदर्शिता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

सोशल मीडिया के सुलभता का प्रयोग कर तेजी से फैलाये जा रहे झूठे व भ्रामक खबरें, सम्प्रदायिक तनाव की कारण बनती रहीं हैं व लोगों को मिलने वाली अप्रत्याशित खबरें अधिकतर बेबुनियाद होती हैं जो राजनीतिक दुरुपयोग व ध्रुवीकरण का कारक बनता है। महिलाओं व बच्चों के अधिकारों का उत्पीड़न सोशल मीडिया का सबसे गंभीर दुरुपयोग है। साइबर बुलिङ्ग सोशल मीडिया जनित एक तकनीकी अपराध हैए जो व्यक्ति के मान व सम्मान व एकांत जीवन तथा शांत जीवन को तहस नहस कर देता है। फलतः व्यक्ति की गोपनीयता नष्ट होती है व व्यक्ति मानसिक रूप से अवसाद में चल जाता है। विभिन्न वादों में स्थिति आत्महत्या तक पहुँच जाती है। सोशल मीडिया का प्रयोग एक प्रकार की तकनीकी नशे रूप उभरी है। युवाओं मे FOMO (fear of missing out) की भावना गहरी होती जा रही है। सोशल मीडिया पर भेजे जा रहे सामाग्री पर बुनियादी लगाम न लगा पाने की अवस्था मे धीरे–धीरे यह अश्लील व आपत्तिजनक सामाग्री का अड्डा बन चुका है। इससे भी गंभीर विषय यह है कि सोशल मीडिया प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिये एकबरबर खुला मंच है जिससे सोशल मीडिया के दुरुपयोग की संभावना और भी बढ़ जाती है व नैतिक पतन का शुरुवात होने लगता है।

प्रभाव

वर्तमान समय में अपराध के कारणों में सोशल मीडिया प्रमुखता से देखने को मिलता है। इसके तीन प्रमुख कारक संभव हैं:

1. सोशल मीडिया की सामाग्री को पूर्णतः फ़िल्टर करना लगभग–लगभग न मुमकिन है।
2. सोशल मीडिया का प्रयोग उन एकल व्यक्तियों के द्वारा भी करना जिनके पास विषय से जुड़ी तथ्य का घोर अभाव होता है परंतु उनके पास असंख्य दर्शक हैं।
3. सोशल मीडिया संदर्भित विभन्न अधिकारों की रक्षा के बचाव की वजहों से विधिक लगाम का अभाव। उदाहरण स्वरूप; सोशल मीडिया पर उपलब्ध अभिव्यक्ति की आजादी।

एक प्रकाशित डाटा में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सोशल मीडिया द्वारा अपराध (साइबर अपराध) में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

तस्वीर संख्या 1

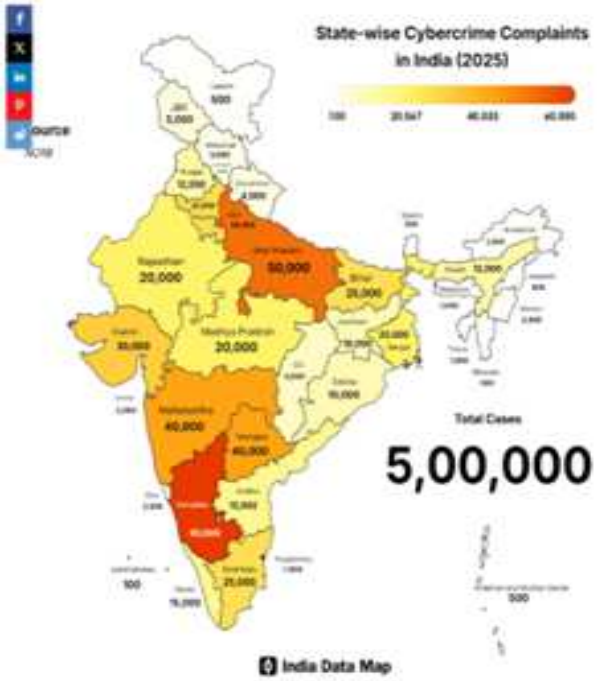

तस्वीर संख्या 2

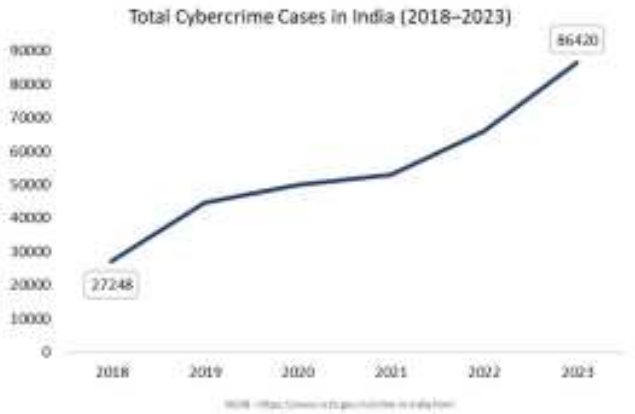

तस्वीर संख्या 1. सोशल मीडिया कंप्युटर की भांति कुछ सीमित व्यक्तियों तक सीमित तकनीकी सुविधा न हो कर एक संचार का एक माध्यम है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो एक स्मार्ट मोबाईल वहन कर सकता है वह सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकता है व किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया का प्रयोग करता भी है। फलतः इसके द्वारा जनित अपराध भी व्यापक स्तर पर देखने को मिलते हैं। तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता हैं कि किस प्रकार सोशल मीडिया जनित अपराध भारत के विभिन्न राज्य क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। यह तस्वीर भारत के विभिन्न राज्य क्षेत्रों में सोशल मीडिया द्वारा जनित अपराध की व्यापकता को प्रदर्शित करता है।

तस्वीर संख्या 2. रेखीय ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे अपराध की दर समय दर समय बढ़ती गई है। तकनीकी विज्ञान का बढ़ता प्रभाव साइबर अपराध के बढ़ोतरी का कारक बना। नये–नये सोशल मीडिया एप्पस का विकास व उन सोशल मीडिया का प्रयोग सोशल मीडिया द्वारा जनित अपराध के रेखिय प्रदर्शन दोनों ही लगभग समानर्थी हैं जो विभिन्न समय अंतराल में निरंतर बढ़ोतरी को प्रदर्शित करतें हैं। सोशल मीडिया द्वारा जनित अपराध में केवल तकनीक अपराध ही शामिल करना इसके प्रभाव को सीमित करने जैसा है। सोशल मीडिया के प्रभाव भौतिक जीवन में भी सामान्य रूप से देखने को मिलतें है। कुछ निम्न उदाहरण हैः

- सोशल मीडिया के कारण सम्प्रदायिक अलगाव या भिड़ंत होना, सोशल मीडिया सम्प्रदायिक भिड़ंत के लिये आग व घी का कार्य करता है।
- सोशल मीडिया लोगों के भौतिक एकांतता को विनिष्ट करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक अवसाद में चले जातें हैं।
- अन्य भौतिक प्रभाव पर चर्चा करें तो यह महिलाओं व बच्चों के प्रति संकुचित सोच स्थापित करता है इत्यादि।

निष्कर्ष

सोशल मीडिया वर्तमान समय में सूचनाओं का एक आवश्यक व त्वरित माध्यम बनकर उभरा है जिसका प्रभाव व्यक्तियों के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। संचार का यह माध्यम एक तरफ जहां सूचना, शिक्षा, व्यापार और सामाजिक आंदोलनों के लिए वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग से नये–नये साइबर अपराधों का जन्म हुआ है। सोशल मीडिया द्वारा जनित तथ्यहीन, भ्रामक, भड़काऊ, अश्लील व साम्प्रदायिक सूचनायें स्वस्थ सामाजिक वातावरण के लिये चिंतनीय है। साइबर बुलिङ्ग, फिशिंग और निजता का हनन साइबर अपराध के सामान्य प्रचलित उदाहरण है।

भारत में बढ़ते साइबर अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी तथा सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक विशिष्ट समानुपाती रेखीय

चित्रण को प्रदर्शित करती है। सोशल मीडिया के सामाग्री को पूर्णतः नियंत्रित कर पाना विधिक, तकनीकी व व्यवहारिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। हालांकि भारतीय विधि के अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से यथा संभव आपत्तिजनक तथ्यों को हटाया जाता है। विशेष परिस्थति में उक्त कृत्यों को अपराध की श्रेणी मे रखा गया है जिसके संदर्भ में कारावास व भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

संदर्भ सूची

1. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023).
2. Cyber Crimes in India Spiked Nearly Nine Times Since 2013, UP Topped the Chart in 2020: Data *available at:* https://www.news18.com/news/india/cyber-crimes-in-india-spiked-nearly-nine-times-since-2013-up-topped-chart-in-2020-data-4210703.html, Accessed on 24-01-2026
3. Vibhuti K. L., P S A Pillai's Criminal Law, (LexisNexis, Haryana 13th edn., 2017).
4. https://www.proofpoint.com/us/threat-reference/cyber-crime, Accessed on 06-12-2025.
5. Paranjape N. V., Criminology and Penology (Central Law Agency, Prayagraj, 19th edn., 2019).
6. Rising Cybercrimes in India: State-by-State Analysis. Available at: https://indiadatamap.com/2025/10/04/rising-cybercrimes-in-india-state-by-state-analysis/, Accessed on 21-02-2026)
7. The Constitution of India.
8. The Evolution of Social Media: How did it begin, and where could it go next? *Available at: https://online.maryville.edu/blog/evolution-social-media/* (Last visited: 13-01-2026)
9. The Information Technology Act, 2000 (Act no. 21 of 2000).
10. The Probation of Offenders Act, 1958 (Act no. 20 of 1958).
11. The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 (Act no. 32 of 2012).
12. पाण्डेय, जे.एन. (2023) *भारत का संवैधानिक विधान,* सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, 58वाँ संस्करण।
13. ज़ैदी, एम. एच. और शिवराज (2022) *सोशल मीडिया के साइबर अपराध,* अलिया लॉ एजेंसी, प्रयागराज, प्रथम संस्करण, हिन्दी संस्करण।
14. जैन, एम. पी. (2012) *भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास का रूपरेखा,* लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्क्स वाधवा, नागपुर, छठा संस्करण।

****